

कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

--: अधिसूचना ::--

क./17898/भू-अर्जन/202010050400004 अ 82/2024 कोरबा, दिनांक 20.12.2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग के कि.मी.694/31-33 पर (उरगा के पास) रेलवे ओवर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची


भूमि का वर्णन -


1. जिला - कोरबा
2. तहसील - कोरबा
3. ग्राम/नगर - उरगा
4. भूमि का क्षेत्रफल - 0.125 हे.

| ख.नं. | रकबा |
|-------------|--------------|
| 227 / 4 | 0.012 |
| 290 / 1 | 0.009 |
| 432 / 8 / छ | 0.020 |
| 433 / 1 | 0.069 |
| 429 / 6 | 0.015 |
| योग | 05 |
| | 0.125 |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा


(अर्जुन वसंत)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग